



## कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक: एफ.( ) FCA/उवसं/2023/ 6871

दिनांक : 31-07-2024

निमित्त,

सहायक खनि अभियन्ता,  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,  
रूपवास (भरतपुर)

विषय:—Diversion of 189.2515 ha of forest land in favour of DMG, Rajasthan in paharpur Block A & B for Mining and generation of employment and generation of District in the State of Rajasthan (FP/RJ/MIN/149012/2021) के संबंध में।

संदर्भ:— आपका राजकाज रेफरेंस नं. 9078150 दिनांक 19.07.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय से दिनांक 11.03.2024 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 271 दिनांक 02.02.2024 में उल्लेखित 2 बिन्दुओं की पालना हेतु आपको EDS भिजवाया गया था जिसकी पालना रिपोर्ट आज दिनांक तक अपूर्ण है। आप द्वारा डायवर्टेड क्षेत्र में 11 कि.मी. Safety Zone का डिमार्केशन करवाया जाना था जिसके क्रम में आज दिनांक तक आप द्वारा केवल ब्लॉक बी में 5.1 किमी. का Safety Zone फेंसिंग कर तैयार किया गया है। उक्त तैयार की गई फेन्सिंग भी बीच-बीच में क्षतिग्रस्त पायी गई तथा कुछ पिलर्स भी टूटे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि ब्लॉक बी में 5.5 किमी. लम्बाई में फेंसिंग कर Safety Zone तैयार किया जाना है। आप द्वारा ब्लॉक ए में अभी तक फेन्सिंग बिल्कुल भी तैयार नहीं की गई है जबकि ब्लॉक ए में भी 5.5 किमी में फेन्सिंग कर Safety Zone तैयार करवाया जाना है।

अतः शेष रही फेन्सिंग का कार्य शीघ्र करवावें तथा ब्लॉक बी में क्षतिग्रस्त फेन्सिंग व टूटे हुए पिलर्स को सही करवावें।

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य अपूर्ण होने के कारण प्रकरण (FP/RJ/MIN/149012/2021) आपके स्तर पर पुनः भिजवाया जा रहा है। अतः उक्त प्रपोजल के आक्षेपों की पूर्ति कर पूर्ण पालना रिपोर्ट से अविलम्ब इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए ही प्रकरण को इस कार्यालय के स्तर पर भिजवावें। ताकि प्रकरण में आवश्यक देरी न हों।

(जी०के० वर्मा)  
उप वन संरक्षक  
भरतपुर

क्रमांक: एफ( ) FCA/उवसं/2023/

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
3. जिला कलक्टर, भरतपुर।
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर।
5. खनि अभियन्ता, भरतपुर।

दिनांक:

उप वन संरक्षक  
भरतपुर